

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्यांक 14)

[28 मार्च, 2021]

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों द्वारा शिक्षा और सेवाओं के मानकों के विनियमन और बनाए रखने, संस्थाओं के निर्धारण, केन्द्रीय और राज्य रजिस्टर रखे जाने तथा पहुंच, अनुसंधान और विकास में सुधार करने के लिए किसी प्रणाली के सृजन और नवीनतम वैज्ञानिक उन्नतियों को अपनाए जाने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 है।

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी तथा इस अधिनियम के प्रारम्भ के प्रति किसी उपबंध में किसी निर्देश का अर्थ उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में लगाया जाएगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सलाहकार परिषद्” से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध और देख-रेख सलाहकार परिषद् अभिप्रेत है ;

(ख) “सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था” से ऐसी शैक्षिक या अनुसंधान संस्था अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन किसी सहबद्ध और देख-रेख वृत्ति में डिप्लोमा या पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर या डॉक्टर डिग्री या कोई अन्य डिग्री पश्च-प्रमाणीकरण प्रदान करती है ;

(ग) “सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक” से इस अधिनियम के अधीन कोई भी सहबद्ध देख-रेख वृत्तिक या देख-रेख वृत्तिक अभिप्रेत है ;

(घ) “सहबद्ध और स्वास्थ्य वृत्तिक” के अन्तर्गत कोई सहयुक्त, टेक्नीशियन या प्रौद्योगिकीविद् सम्मिलित है जो रूग्णता, रोग, क्षति या ह्रास के निदान और उपचार में सहायता तथा किसी चिकित्सीय, परिचर्या या किसी अन्य स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा सिफारिश किए गए किसी देख-रेख उपचार और रेफरल योजना के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए तकनीकी और व्यवहारिक कार्य करने के लिए प्रशिक्षित है और जिसने इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा या डिग्री की कोई ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की हुई है, जिसकी अवधि दो हजार घंटों से कम की नहीं होगी, जिसका विस्तार दो वर्ष से चार वर्ष की अवधि में विनिर्दिष्ट सेमेस्टरों में विभाजित होगा ;

(ङ) “सहबद्ध और देख-रेख अर्हता” से किसी सहबद्ध और देख-रेख वृत्तिक द्वारा इस अधिनियम के अधीन नियमित शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्राप्त किया गया कोई मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री या उसके पश्चात् अभिप्राप्त कोई भी अतिरिक्त मान्यताप्राप्त पाठ्यक्रम अभिप्रेत है ;

(च) “स्वशासी बोर्ड” से धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन गठित स्वशासी बोर्ड अभिप्रेत है ;

(छ) “केन्द्रीय रजिस्टर” से धारा 13 के अधीन आयोग द्वारा रखा गया केन्द्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ज) “अध्यक्ष” से आयोग का धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(झ) “आयोग” से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अभिप्रेत है ;

(ञ) “स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक” के अन्तर्गत ऐसा वैज्ञानिक, चिकित्सक या अन्य वृत्तिक सम्मिलित है जो अध्ययन करता है, सलाह देता है, अनुसंधान करता है, पर्यवेक्षण करता है या निवारक, आरोग्यकारी, पुनर्वासीय, चिकित्सीय या संवर्धन सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है और जिसने इस अधिनियम के अधीन डिग्री जिसकी अवधि तीन हजार छह सौ घंटों से कम की नहीं होगी, जिसका विस्तार तीन वर्ष से छह वर्ष की अवधि में विनिर्दिष्ट सेमेस्टरों में विभाजित होगा की कोई भी ऐसी अर्हता अभिप्राप्त की है ;

(ट) “अंतरिम आयोग” से धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन गठित अंतरिम आयोग अभिप्रेत है ;

(ठ) “सदस्य” से, यथास्थिति, आयोग या राज्य परिषद् का सदस्य अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अंशकालिक सदस्य भी है ;

(ड) “अधिसूचना” से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और “अधिसूचित” पद का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ;

(ढ) “अंशकालिक सदस्य” से आयोग का धारा 3 के खंड (घ) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित तथा खंड (घ) के उपखंड (iii) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य अभिप्रेत है ;

(ण) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(त) “वृत्तिक परिषद्” से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन गठित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक परिषद् अभिप्रेत है ;

(थ) “मान्यताप्राप्त प्रवर्ग” से अनुसूची में विनिर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों का कोई भी प्रवर्ग अभिप्रेत है ;

(द) “विनियम” से आयोग द्वारा बनाया गया कोई विनियम अभिप्रेत है ;

(ध) “अनुसूची” से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(न) “राज्य परिषद्” से धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन गठित कोई राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् अभिप्रेत है ;

(प) “राज्य सरकार” के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन भी है ;

(फ) “राज्य रजिस्टर” से धारा 32 के अधीन रखा गया राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(ब) “कृतिक परिवर्तन” से ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा उन्नत स्वास्थ्य देख-रेख के लिए स्वास्थ्य कार्य बल को दक्षतापूर्वक पुनर्संगठित करके विनिर्दिष्ट कृतिकों को, जहां उचित हो, उन कार्यों में विशेषीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख कृतिकों के पास भेजा जाता है ;

(भ) “विश्वविद्यालय” से विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के अधीन परिभाषित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उस अधिनियम की धारा 3 के अधीन डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में घोषित कोई संस्था भी है ;

(म) “उपाध्यक्ष” से आयोग का धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग

3. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग नामक एक आयोग का ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अधिकथित किए जाएं, का गठन किया जाएगा ।

(2) आयोग, पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसका व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी और वह उस नाम से वाद जाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की किसी भी मान्यताप्राप्त वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के

आयोग का गठन और संरचना ।

क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष अग्रणी के रूप में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में होंगे, विख्यात योग्यता साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी — अध्यक्ष ;

(ख) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की किसी भी मान्यताप्राप्त वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षेत्र में बीस वर्ष से अन्यून का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष अग्रणी के रूप में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में होंगे, विख्यात योग्यता साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति — उपाध्यक्ष;

(ग) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के पदेन सदस्य होंगे, अर्थात् :—

(i) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग का संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(ii) भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(iii) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य;

(iv) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग का संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(v) भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव — पदेन सदस्य ;

(vi) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जो उप-महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — पदेन सदस्य ;

(vii) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जो उप-महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — पदेन सदस्य ;

(viii) निम्नलिखित में से किसी का, द्विवार्षिक चक्रानुक्रम आधार पर, प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जो भारत सरकार के उप-सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — पदेन सदस्य,—

(क) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ;

(ख) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ; और

(ग) भारतीय पुनर्वास परिषद् ;

(ix) निम्नलिखित का द्विवार्षिक चक्रानुक्रम आधार पर, प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति, जो उप-निदेशक या चिकित्सा अधीक्षक की पंक्ति से नीचे के न हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाए — पदेन सदस्य—

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली ;

(ख) अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई;

(ग) जवाहर लाल स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुडुचेरी ;

(घ) इंदिरा गांधी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय स्वास्थ्य और आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग ;

(ङ) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान, दिल्ली ;

(च) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु ;

(छ) राष्ट्रीय पोषण संस्थान, हैदराबाद ;

(ज) राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, कटक ;

(झ) राष्ट्रीय विकलांग विद्या संस्थान, कोलकाता ;

(ञ) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर, कर्नाटक ;

(ट) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनंतपुरम्, केरल ; और

(ठ) टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुम्बई ;

(घ) निम्नलिखित व्यक्ति आयोग के अंशकालिक सदस्य होंगे,—

(i) राज्य परिषदों का प्रतिनिधित्व करने वाले छह मंडलों में प्रत्येक से ऐसी अर्हता और अनुभव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, रखने वाले दो व्यक्ति, जो मंडलीय वितरण के अनुसार वर्ण क्रमानुसार द्विवार्षिक चक्रानुक्रम में संबंधित राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएं ;

(ii) वृत्तिक परिषद् का अध्यक्ष और प्रत्येक वृत्तिक परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति, जिसका चयन ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और खंड (ग) के उपखंड (ii) के अधीन पदेन सदस्य से मिलकर बनी समिति द्वारा वृत्तियों के द्विवार्षिक चक्रानुक्रम से किया जाए; और

(iii) किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से संबंधित शिक्षा और सेवाओं में लगी हुई पूर्त संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हता और अनुभव रखते हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

4. (1) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य उस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते हैं, दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और अधिकतम दो पदावधियों के लिए पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे ।

(2) आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(3) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i), उपखंड (ii) और उपखंड (iii) के अधीन नामनिर्देशित अंशकालिक सदस्य—

(i) केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून का लिखित नोटिस देकर अपना पद छोड़ सकेगा ; या

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें ।

सदस्यों का त्यागपत्र और हटाया जाना ।

(ii) उसके पद से हटाया जा सकेगा, यदि—

(क) वह दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है; या

(ख) वह किसी ऐसे अपराध का दोषसिद्ध ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) वह सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे अंशकालिक सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है; या

(ङ) उसने अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन कोई अंशकालिक सदस्य अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

सदस्यता का नहीं
रहना और
आकस्मिक रिक्ति
का भरा जाना।

6. (1) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (i) से खंड (ix) के अधीन कोई सदस्य उस सेवा में उसके नहीं रहने पर, जिसके कारण वह आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, आयोग का सदस्य नहीं रहेगा।

(2) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य राज्य परिषद् के रजिस्टर से उसका नाम हटाए जाने पर आयोग का सदस्य नहीं रहेगा।

(3) धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयोग में किसी भी आकस्मिक रिक्ति के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, केवल उस सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

आयोग की बैठकें।

7. (1) आयोग, प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार ऐसे समय और स्थान पर, जो अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए, बैठक करेगा और अपनी बैठकों में कारबार के संब्यवहार की बाबत प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(2) अध्यक्ष, आयोग की बैठक की अध्यक्षता करेगा और यदि वह आयोग की बैठक में उपस्थित होने के लिए किसी कारण से असमर्थ है, तो उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(3) आयोग के सदस्यों की कुल संख्या के आधे सदस्यों से, जिसके अंतर्गत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष भी हैं, गणपूर्ति होगी और आयोग के सभी विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किए जाएंगे; और मतों की बराबरी की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

रिक्तियों इत्यादि से
आयोग की
कार्यवाहियों का
अविधिमान्य न
होना।

8. आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) आयोग के किसी सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है; या

(ग) आयोग की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है।

आयोग के अधिकारी
और अन्य कर्मचारी।

9. (1) ऐसे नियमों के अधधीन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, केन्द्रीय सरकार, आयोग को एक सचिवालय उपलब्ध कराएगी, जो एक सचिव और अन्य

अधिकारी से मिलकर बनेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के दक्षतापूर्वक पालन के लिए आवश्यक समझे जाएं।

(2) आयोग के सचिव और अन्य अधिकारियों को संदेय वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) आयोग का सचिवालय वृत्तिक परिषद् और सलाहकारी परिषद् को सचिवीय सहायता भी प्रदान करेगा।

10. (1) आयोग, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग के लिए वृत्तिक परिषद् का गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में प्रत्येक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम चार और चौबीस से अनधिक ऐसे सदस्य होंगे, जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए :

वृत्तिक परिषद्।

परंतु जहां किसी वृत्तिक परिषद् में वृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले एक से अधिक वृत्तिक हैं, वहां अध्यक्ष मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में वृत्तिकों के बीच द्विवार्षिक चक्रानुक्रम रखेगा।

(2) जहां आयोग में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विशिष्ट मान्यताप्राप्त वृत्ति से कोई व्यक्ति नहीं है, वहां यदि आयोग की यह राय है कि उसके द्वारा किया गया विनिश्चय उस वृत्ति को प्रभावित करता है तो वह ऐसा विनिश्चय करने से पहले संबंधित वृत्तिक परिषद् के माध्यम से उस वृत्ति को सुनवाई का अवसर देगा।

(3) वृत्तिक परिषद् का अध्यक्ष और सदस्य अपने-अपने प्रवर्ग के रजिस्ट्रीकृत वृत्तिक होंगे।

11. (1) आयोग का ऐसे सभी उपाय करने का कर्तव्य होगा जो इस अधिनियम के अधीन सेवाओं के परिदान के मानक बनाए रखने और शिक्षा के समन्वित और एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए उचित समझे और अपने कृत्यों के पालन के प्रयोजनों के लिए आयोग निम्नलिखित कर सकेगा—

आयोग के कृत्य।

(क) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख से सम्बन्धित शिक्षा और वृत्तिक सेवाओं के शासन के लिए नीतियां और मानक विरचित करना ;

(ख) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों द्वारा इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन पालन किए जाने वाले वृत्तिक आचार, नैतिक और शिष्टाचार संहिता को विनियमित करना ;

(ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की शैक्षणिक अर्हताओं, संस्थाओं, प्रशिक्षण, कौशल और सक्षमताओं के उनकी वृत्ति से संबंधित ऐसे व्यौरों सहित, जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं, आनलाइन और कार्यशील रजिस्टर बनाना और उनको अध्ययन बनाए रखना ;

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य परिवर्तन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वृत्ति के व्यवसाय का कार्यक्षेत्र उपलब्ध कराना ;

(ङ) शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और शिक्षा संबंधी सुविधाओं, कर्मचारियों के पैटर्न, कर्मचारियों की अर्हता, क्वालिटी शिक्षण, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निरंतर वृत्तिक शिक्षा, विभिन्न प्रवर्गों की बाबत संदेय अधिकतम अध्यापन फीस, सीटों के आनुपातिक वितरण के आधारभूत मानक उपबंधित करना और प्रवर्गों में उत्तरोत्तर नवीनताओं को ऐसी रीति में प्रोन्नत करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(च) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों द्वारा अभिप्राप्त की जाने वाली सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताएं विहित करना, जिसके अन्तर्गत पाठ्यक्रम का नाम, प्रवेश मानदंड, अवधि और ऐसी अन्य विशिष्टियां भी हैं जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(छ) डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर की सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में सामान्य परामर्श से एकरूप प्रवेश परीक्षा के लिए ऐसी रीति में उपबंध करना या उपबंध करवाया जाना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) शिक्षाविदों हेतु वृत्तिक व्यवसाय के लिए या स्नातकोत्तर या डॉक्ट्रल स्तर और राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्रवेश के लिए सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए निकास या अनुज्ञप्ति परीक्षा का ऐसी रीति में उपबंध करना, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ;

(झ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए दक्ष मानव शक्ति के व्यवस्थित अभिनियोजन, कार्य प्रदर्शन प्रबंध प्रणाली, कार्य परिवर्तन और सहयुक्त कैरियर विकास के मार्ग के लिए रणनीतिक ढांचे का उपबंध करना ;

(ञ) मशीनरी, सामग्री और सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक ढांचे का उपबंध करना ;

(ट) इस अधिनियम के अधीन राज्य परिषदों द्वारा उनके प्रभावी कार्यकरण के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे उपाय करना, जो आवश्यक हों ;

(ठ) आयोग के कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए अनुसूची में यथा सूचीबद्ध किसी वृत्ति के संबंध में तकनीकी सलाह के लिए समितियां गठित करना या स्वतंत्र विशेषज्ञों को नियुक्त करना ;

(ड) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 की धारा 3 के अधीन गठित केन्द्रीय परिषद् के साथ आयोग की वार्षिक बैठक आयोजित करना ;

2019 का 30

1973 का 59

(ढ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसको सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों ।

(2) आयोग अपने ऐसे कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, वृत्तिक परिषद् को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख सलाहकारी परिषद् ।

12. (1) केन्द्रीय सरकार, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों से संबंधित मुद्दों पर आयोग को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख सलाहकारी परिषद् नामक सलाहकारी परिषद् का गठन करेगी ।

(2) सलाहकारी परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

(i) आयोग का अध्यक्ष — अध्यक्ष ;

(ii) आयोग के सभी सदस्य — पदेन सदस्य ;

(iii) प्रत्येक राज्य से चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित प्रधान सचिव या उसका नामनिर्देशिती — सदस्य ;

(iv) राज्य परिषद् का अध्यक्ष — सदस्य ; और

(v) प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला चिकित्सीय शिक्षा से संबंधित प्रधान सचिव या उसका नामनिर्देशिती — सदस्य ।

(3) सलाहकारी परिषद् वर्ष में एक बार दिल्ली में बैठक करेगी, जैसा सलाहकारी

परिषद् के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाए।

13. (1) आयोग, आनलाइन और कार्यशील केन्द्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर के नाम से ज्ञात प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग के पृथक् भाग में व्यक्तियों का रजिस्टर, जिसमें जानकारी अन्तर्विष्ट होगी, जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों के नाम, जो उनके क्रमिक किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से सम्बन्धित अर्हताएं रखता है, ऐसी रीति में रखेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

केन्द्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए आयोग, केन्द्रीय रजिस्टर को बनाए रखने के लिए ऐसा मानक रूपविधान अंगीकार कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

1872 का 1

(3) केन्द्रीय रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थान्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा और उसे आयोग द्वारा दी गई प्रमाणित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा।

14. कतिपय मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा व्यवसाय की बाबत इस अधिनियम में अधिकथित शर्तों और निर्बंधनों के अधीन, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम तत्समय केन्द्रीय रजिस्टर में है, इस अधिनियम के अधीन किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रूप में व्यवसाय के परिनिश्चित प्रविषय के भीतर अपनी अर्हताओं के अनुसार कोई भी सेवा प्रदान करने का तथा ऐसी सेवा की बाबत कोई भी व्यय, प्रभार या कोई भी ऐसी अन्य फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, जिसका वह हकदार हो।

केन्द्रीय रजिस्टर में नामांकन के लिए विशेषाधिकार।

15. किसी रजिस्ट्रीकृत सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक से भिन्न कोई भी व्यक्ति,—

केन्द्रीय रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों के अधिकार।

(क) सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही किसी भी संस्था में किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक (चाहे जिस भी नाम से ज्ञात हो) के रूप में पद धारण नहीं करेगा ;

(ख) किसी भी राज्य में किसी भी मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में सेवाएं प्रदान नहीं करेगा; और

(ग) सम्यक् रूप से अर्हित किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अपेक्षित किसी प्रमाणपत्र को हस्ताक्षरित या अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा।

16. आयोग, किसी राज्य के रजिस्टर में किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण की रिपोर्ट की प्राप्ति पर या किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, किए गए किसी आवेदन पर उसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट कर सकेगा।

केन्द्रीय रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण।

17. (1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट कर दिया गया है, इस निमित्त ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर और ऐसी फीस के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए हकदार होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाता।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आयोग आवेदक को, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(3) जहां आयोग के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, वहां आयोग ऐसी फीस के संदाय पर, ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

18. (1) यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर में प्रविष्ट है, किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता के अतिरिक्त किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में कोई अन्य मान्यताप्राप्त अर्हता अभिप्राप्त करता है, तो वह इस निमित्त ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में की जाए आवेदन पर तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, ऐसी डिग्री या डिप्लोमा या ऐसी अन्य अर्हता का कथन करते हुए उसके नाम के सामने ऐसे रजिस्टर में पूर्व में की गई किसी प्रविष्टि के अतिरिक्त प्रविष्टि करवाने का हकदार होगा।

अतिरिक्त अर्हताओं
का रजिस्ट्रीकरण।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की बाबत राज्य रजिस्टर में प्रविष्टियों को केन्द्रीय रजिस्टर में किए गए परिवर्तनों के अनुसार परिवर्तित कर दिया जाएगा।

केन्द्रीय रजिस्टर से
नाम का हटाया
जाना।

19. यदि राज्य के रजिस्टर में नामांकित किसी व्यक्ति का नाम उस रजिस्टर से इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में हटा दिया जाता है, तो आयोग ऐसे व्यक्ति का नाम ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय रजिस्टर से हटाए जाने का निदेश देगा :

परंतु उसका नाम, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से हटा दिए जाने पर ऐसा प्रमाणपत्र विधिमान्य नहीं रहेगा।

अंतरिम आयोग।

20. (1) केन्द्रीय सरकार, यथाशीघ्र, किन्तु उस तारीख से, जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, साठ दिन की अवधि के भीतर, तीन वर्ष के लिए या धारा 3 के अधीन नियमित आयोग गठित किए जाने तक, इनमें जो भी पूर्वतर हो, एक अंतरिम आयोग गठित करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित अंतरिम आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(क) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव — अध्यक्ष ;

(ख) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव— सदस्य ;

(ग) भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय में विधि कार्य विभाग में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(घ) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(ङ) भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(च) भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव — सदस्य ;

(छ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक का एक प्रतिनिधि, जो उप महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ज) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

2019 का 30

(झ) भारतीय पुनर्वास परिषद् का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ञ) परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड का एक प्रतिनिधि, जो भारत सरकार के उपसचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ट) प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं — सदस्य :

परंतु अंतरिम आयोग अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्व नहीं करने वाले वृत्तिकों में से ऐसे विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा, जो आवश्यक हों ।

(3) अंतरिम आयोग, इस अधिनियम के अधीन आयोग को सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, अंतरिम आयोग का एक सचिव नियुक्त करेगी ।

21. (1) केन्द्रीय सरकार, खोजबीन-सह-चयन समिति की सिफारिश पर, आयोग का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव नियुक्त करेगी ।

खोजबीन-सह-चयन समिति ।

(2) खोजबीन-सह-चयन समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का सचिव — अध्यक्ष ;

(ख) शिक्षा मंत्रालय में उच्चतर शिक्षा विभाग का सचिव या उसका नामनिर्देशिती, जो अपर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो — सदस्य ;

(ग) चार विशेषज्ञ, जो सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा, जन स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं तथा कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखते हों, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा — सदस्य ;

(घ) एक व्यक्ति, जो प्रबंधन या विधि या अर्थशास्त्र या विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट अर्हताएं तथा कम से कम पच्चीस वर्ष का अनुभव रखता हो, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा — सदस्य ; और

(ङ) भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव— संयोजक सदस्य ।

(3) केन्द्रीय सरकार, किसी रिक्ति के, जिसके अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने के कारण हुई रिक्ति भी है, होने की तारीख से तीन मास के भीतर या आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की पदावधि की समाप्ति से पहले तीन मास के भीतर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के चयन के लिए खोजबीन-सह-चयन समिति को निर्देश करेगी ।

(4) खोजबीन-सह-चयन समिति, प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम तीन नामों के पैनल की सिफारिश करेगी ।

(5) खोजबीन-सह-चयन समिति, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति की सिफारिश करने से पहले अपना यह समाधान करेगी कि ऐसे व्यक्ति का कोई ऐसा वित्तीय या अन्य हित नहीं है, जिससे ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सचिव के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य हो ।

(6) आयोग के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सचिव की कोई भी नियुक्ति केवल खोजबीन-सह-चयन समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

(7) खोजबीन-सह-चयन समिति, उपधारा (3) से उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित कर सकेगी ।

अध्याय 3

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद्

राज्य परिषद् का गठन और उसकी संरचना।

22. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर, अधिसूचना द्वारा, राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् नामक एक परिषद् का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, जो इस अधिनियम द्वारा अधिकथित किए जाएं।

(2) राज्य परिषद् पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुद्रा होगी, जिसे जंगम और स्थावर दोनों प्रकार की संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन की, तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।

(3) राज्य परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) किसी विश्वविद्यालय से सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान की किसी भी मान्यताप्राप्त वृत्ति में स्नातकोत्तर डिग्री और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख विज्ञान के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष से अन्यून का अनुभव, जिसमें से कम से कम दस वर्ष अग्रणी के रूप में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के क्षेत्र में होंगे, विख्यात योग्यता साबित प्रशासनिक क्षमता और सत्यनिष्ठा रखने वाला व्यक्ति, जिसको राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा — अध्यक्ष ;

(ख) राज्य सरकार में चिकित्सा या स्वास्थ्य विज्ञान का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक या अपर निदेशक या संयुक्त निदेशक — पदेन सदस्य ;

(ग) राज्य सरकार के किन्हीं आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों से दो व्यक्ति, जो संकायाध्यक्ष या विभागाध्यक्ष की पंक्ति से नीचे के न हों — पदेन सदस्य ;

(घ) धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा गठित स्वशासी बोर्ड का अध्यक्ष — पदेन सदस्य ;

(ङ) अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं — सदस्य ;

(च) किसी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से संबंधित शिक्षा या सेवाओं में लगे हुए पूर्व संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति, जो ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखते हों, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए — सदस्य।

सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें।

23. (1) राज्य परिषद् के अध्यक्ष और धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस तारीख से, जिसको वे अपना पदग्रहण करते हैं, दो वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा अधिकतम दो पदावधियों के लिए पुनः नामनिर्देशन के पात्र होंगे।

(2) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन राज्य परिषद् के नामनिर्देशित सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

सदस्यों का त्यागपत्र और उनको हटाया जाना।

24. (1) धारा 23 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य परिषद् का अध्यक्ष और धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन नामनिर्देशित कोई सदस्य,—

(i) राज्य सरकार को तीन मास से अन्यून का लिखित में नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा ; या

(ii) अपने पद से हटाया जा सकेगा, यदि वह—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत कर दिया गया है ; या

(ख) किसी ऐसे अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है ; या

(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है ; या

(ङ) अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना लोकहित के प्रतिकूल है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन ऐसा कोई सदस्य अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उसे मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो ।

25. (1) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन कोई सदस्य उसके उस सेवा में नहीं रहने पर, जिसके आधार पर उसे राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, राज्य परिषद् का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) राज्य परिषद् में, धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन किसी भी आकस्मिक रिक्ति के अधीन नियुक्त किया गया अध्यक्ष या कोई भी अन्य सदस्य केवल उस सदस्य की शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया था ।

26. (1) राज्य परिषद्, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों में कारबार के संबन्धित की बाबत ऐसे नियमों का (जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है) पालन ऐसी रीति में करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) राज्य परिषद् का अध्यक्ष, यदि किसी कारण से वह राज्य परिषद् की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ है, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से चयन किया गया कोई भी अन्य सदस्य, बैठकों की अध्यक्षता करेगा ।

(3) राज्य परिषद् की किसी भी बैठक में उनके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाला सदस्य निर्णायक मत देगा ।

27. राज्य परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगी कि—

(क) राज्य परिषद् में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) राज्य परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) राज्य परिषद् की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जिससे मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं पड़ता है ।

28. (1) ऐसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, राज्य परिषद् एक सचिव और ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकेगी, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे ।

सदस्यता का नहीं रहना और सदस्यों की आकस्मिक रिक्ति का भरा जाना ।

राज्य परिषद् की बैठक ।

रिक्तियों, आदि से राज्य परिषद् की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

राज्य परिषद् के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।

(2) राज्य परिषद् का उपधारा (1) के अधीन नियुक्त सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

स्वशासी बोर्डों का गठन और उनके कृत्य।

29. (1) राज्य परिषद्, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों को विनियमित करने के लिए अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित स्वशासी बोर्डों का गठन करेगी, अर्थात् :—

- (क) पूर्व स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड ;
- (ख) स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड ;
- (ग) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण बोर्ड ; और
- (घ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड।

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित स्वशासी बोर्डों में एक अध्यक्ष और प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से उतनी संख्या में सदस्य होंगे, जो विनियमों द्वारा विहित किए जाएं और उन्हें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(3) पूर्व स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड और स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड, स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर तथा अति विशिष्टता स्तर पर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा के मानक अवधारित करेंगे, गतिशील पाठ्यचर्या अंतर्वस्तु, प्रमाणों के लिए संस्थागत मानकों के पुनर्विलोकन, संकाय विकास, मान्यताप्राप्त अर्हताओं के पाठ्यक्रमों के अनुमोदन पर आधारित सक्षमता का विकास करेंगे तथा ऐसे अन्य कृत्य करेंगे, जो पूर्व स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए राज्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(4) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण बोर्ड, संस्थाओं के निरीक्षण का उपबंध करके सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं के निर्धारण और श्रेणीकरण के लिए प्रक्रिया अवधारित करेगा, नई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं की स्थापना और स्थानों की संख्या के लिए अनुज्ञा प्रदान करेंगे, निर्धारकों का पैनल तैयार करेंगे, चेतावनी या जुर्माने अधिरोपित करेंगे, ऐसे अन्य कृत्य संस्थानों की मान्यता को वापस लेने की सिफारिश करेगा, जो न्यूनतम आवश्यक मानकों का अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(5) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड, राज्य में सभी अनुज्ञप्तिधारी, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख व्यवसायियों का आनलाइन और वास्तविक राज्य रजिस्टर रखेगा, वृत्तिक आचार और नैतिकता के संबर्द्धन को विनियमित करेगा और ऐसे अन्य कृत्य करेगा, जो राज्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं।

(6) पूर्व स्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा बोर्ड, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण बोर्ड तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिक और रजिस्ट्रीकरण बोर्ड ऐसे अन्य कृत्य करेंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

राज्य परिषद् के कृत्य।

30. राज्य परिषद् का, ऐसे सभी उपाय करने का कर्तव्य होगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन शिक्षा के समन्वयित और एकीकृत विकास तथा सेवाओं के प्रदान का स्तर बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए ठीक समझे और अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए राज्य परिषद्—

- (क) राज्य में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों द्वारा पालन किए जाने के लिए वृत्तिक आचरण, नैतिक संहिता और शिष्टाचार का पालन कराएगी और अनुशासनिक कार्रवाई कर सकेगी, जिसके अंतर्गत राज्य रजिस्टर से किसी वृत्तिक का नाम हटाना भी है ;

(ख) शिक्षा, पाठ्यक्रम, परिचर्या, भौतिक और शैक्षणिक सुविधाओं, स्टाफ पैटर्न, स्टाफ अर्हताओं, क्वालिटी शिक्षण, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निरंतर वृत्तिक शिक्षा के न्यूनतम स्तर सुनिश्चित करेगी ;

(ग) इस अधिनियम के अधीन डिप्लोमा, पूर्व स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट स्तर पर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में प्रवेश के लिए सामान्य मंत्रणा से एकरूप प्रवेश परीक्षा सुनिश्चित करेगी ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के लिए एकरूप निकास या अनुज्ञप्ति परीक्षा सुनिश्चित करेगी ;

(ङ) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगी और राज्य में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों को रजिस्टर करेगी ;

(च) आयोग द्वारा जारी किए गए सभी निदेशों का पालन सुनिश्चित करेगी ;

(छ) मशीनरी, सामग्रियों और सेवाओं के लिए न्यूनतम मानक रूपरेखा का उपबंध करेगी ;

(ज) पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों के लिए भर्ती क्षमता को अनुमोदन या मान्यता प्रदान करेगी ;

(झ) मानक बनाए रखने के क्रम में संस्थाओं पर जुर्माना अधिरोपित करेगी ; और

(ञ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा उसको सौंपे जाएं या जो इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों ।

31. राज्य परिषद् इतनी संख्या में वृत्तिक सलाहकारी बोर्डों का गठन करेगी, जो एक या अधिक मान्यताप्राप्त प्रवर्गों से संबंधित विनिर्दिष्ट मुद्दों की परीक्षा करने और राज्य परिषद् को उनके बारे में सिफारिश करने और ऐसे किसी अन्य क्रियाकलाप को भी करने, जो राज्य परिषद् द्वारा प्राधिकृत किए जाएं, करने के लिए आवश्यक हों ।

सलाहकार बोर्ड का गठन ।

32. (1) राज्य परिषद् प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग के पृथक् भागों में राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर के नाम से व्यक्तियों का आनलाइन और वास्तविक राज्य रजिस्टर, ऐसी रीति में, जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए, रखेगी, जिसमें ऐसी सूचना होगी, जिसके अंतर्गत व्यक्तियों के नाम और उनकी अपने-अपने मान्यताप्राप्त किन्हीं प्रवर्गों से संबंधित अर्हता भी है ।

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक रजिस्टर ।

(2) राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों की वृत्ति से संबंधित शैक्षणिक अर्हता संस्थाओं, प्रशिक्षण, कौशल और सक्षमता के ब्यौरे ऐसी रीति में होंगे, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(3) राज्य रजिस्टर को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थात्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा और उसे राज्य परिषद् द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित प्रति द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

33. (1) कोई व्यक्ति, आवेदन करने पर और राज्य सरकार द्वारा विहित फीस के संदाय पर अपना नाम राज्य रजिस्टर में दर्ज कराने का हकदार होगा, यदि वह राज्य में निवास करता है और यदि वह मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता रखता है ।

राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण ।

(2) राज्य परिषद् को आवेदन किए जाने पर, यदि राज्य परिषद् की यह राय है कि आवेदक, राज्य रजिस्टर में अपना नाम दर्ज कराने का हकदार है, तो राज्य परिषद् उसमें आवेदक का नाम दर्ज कर देगी ।

(3) इस धारा के अधीन किसी नाम के राज्य रजिस्टर में दर्ज किए जाने पर, राज्य परिषद् का सचिव आवेदक को ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति के रजिस्टर का प्रमाणपत्र पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो उस वृत्ति के लिए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(5) कोई भी व्यक्ति, जिसके रजिस्ट्रीकरण का आवेदन राज्य परिषद् द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ऐसे नामंजूर किए जाने की तारीख से एक मास के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा।

अनुलिपि प्रमाणपत्र का जारी किया जाना।

34. जहां राज्य परिषद् के सचिव के समाधानप्रद रूप में यह दर्शित कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र खो गया है या नष्ट हो गया है, तो राज्य परिषद् ऐसी फीस के संदाय पर और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं, अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी कर सकेगी।

राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों के नाम का नवीकरण।

35. (1) राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के नाम के नवीकरण के लिए प्रत्येक पांच वर्ष में राज्य परिषद् को ऐसी फीस का संदाय, ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट फीस का संदाय विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, वहां राज्य परिषद् का सचिव, व्यतिक्रमी का नाम राज्य रजिस्टर से हटा देगा :

परंतु इस प्रकार हटाया गया नाम, उक्त रजिस्टर में ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन फीस के संदाय पर, राज्य परिषद् का सचिव नवीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का सबूत होगा।

राज्य रजिस्टर से किसी व्यक्ति के नाम का हटाया जाना।

36. (1) राज्य परिषद्, किसी व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने और ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात् यदि यह उचित समझे,—

(क) कि उसका नाम राज्य रजिस्टर में गलती से या सारभूत तथ्यों के मिथ्या व्यपदेशन या छिपाए जाने के कारण दर्ज किया गया है ; या

(ख) कि वह उस अपराध से दोषसिद्ध कर दिया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है और जो कारावास से दंडनीय है या वह किसी वृत्तिक आदर में किसी कुत्सित आचरण का दोषी रहा है या उसने वृत्तिक आचरण और शिष्टाचार या सदाचार संहिता के मानकों का अतिक्रमण किया है, जो राज्य परिषद् की राय में उसे उक्त रजिस्टर में रखने के अयोग्य कर देते हैं,

तो आदेश द्वारा राज्य रजिस्टर से उस व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

(2) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, इस अधिनियम के अधीन या तो स्थायी रूप या ऐसी अवधि के लिए, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपात्र हो जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश उसकी तारीख से तीन मास की समाप्ति तक या ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील, यदि कोई हो, के अंतिम रूप से निपटारा किए जाने तक, इसमें जो भी तारीख पश्चात्पूर्वी हो, प्रभावी नहीं होगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर आयोग को अपील कर सकेगा और आयोग सुनवाई का अवसर देने के

पश्चात् ऐसी अपील फाइल करने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे।

(5) कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन या धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और नवीकरण प्रमाणपत्र, यदि कोई हो, राज्य परिषद् को तुरंत अभ्यर्पित कर देगा और इस प्रकार हटाया गया नाम राज्य परिषद् की वेबसाइट पर और जनभाषा के एक दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(6) कोई व्यक्ति, जिसका नाम इस धारा के अधीन राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, उस राज्य परिषद् के, जिसके रजिस्टर से उसका नाम हटा दिया गया है, अनुमोदन के सिवाय राज्य रजिस्टर में या किसी अन्य राज्य रजिस्टर में नाम रजिस्टर कराने का हकदार नहीं होगा।

37. राज्य परिषद्, किसी भी समय, उसे पर्याप्त प्रतीत होने वाले कारणों से तथा ऐसी फीस के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, यह आदेश कर सकेगी कि किसी राज्य रजिस्टर से हटाया गया किसी व्यक्ति का नाम प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा और नाम को राज्य परिषद् की वेबसाइट पर तथा जनभाषा के एक दैनिक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

38. प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो इस अधिनियम के प्रारंभ को या उससे पहले मान्यताप्राप्त किसी प्रवर्ग में अपनी सेवाएं देता है, ऐसे प्रारंभ से ऐसी अवधि के भीतर ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

अध्याय 4

मान्यता और व्यतिकारिता

39. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन भारत के बाहर की संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई कोई भी तत्स्थानी अर्हता ऐसी मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता समझी जाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) भारत का ऐसा नागरिक, जिसके पास उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी अर्हताएं हैं, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी ऐसी अर्हताओं को, जिनकी बाबत व्यतिकारिता की स्कीम प्रवृत्त नहीं है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी जाएगी या ऐसा तब होगा, जब किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् ही प्रदान की गई हों :

परंतु ऐसी अर्हता रखने वाले विदेशी राष्ट्रिक—

(क) केवल तभी अनुज्ञात किए जाएंगे, यदि ऐसे व्यक्ति, उस देश में तत्समय प्रवृत्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक के रूप में नामांकित किए गए हों;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक सीमित होंगे।

(4) किन्हीं ऐसी अर्हताओं, उपधारा (1) के अधीन तत्स्थानी अर्हताओं की बाबत, केन्द्रीय सरकार, आयोग के परामर्श से अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इसे सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता को मान्यता केवल तभी दी जाएगी, जब उन्हें विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान किया गया हो।

राज्य रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम की पुनःबहाली।

अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व सेवाएं देने वाले व्यक्तियों की मान्यता।

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं की मान्यता और व्यतिकारिता।

(5) आयोग, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं की मान्यता के लिए व्यतिकारिता की स्कीम को आरंभ करने के लिए, भारत के बाहर किसी देश में किसी ऐसे प्राधिकरण के साथ बातचीत कर सकेगी, जिसे ऐसे देश की विधि द्वारा तत्स्थानी अर्हताओं की मान्यता न्यस्त की गई है और ऐसी किसी स्कीम के अनुसरण में तत्स्थानी अर्हता को, जिसे प्रदान करने का आयोग ने विनिश्चय किया है, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए।

अध्याय 5

नई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था की स्थापना

40. (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से ही,—

(क) कोई भी व्यक्ति किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था की स्थापना नहीं करेगा ; या

(ख) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त राज्य परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय—

(i) ऐसा नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण (जिसके अंतर्गत स्नातक पश्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) प्रारंभ नहीं करेगा, जो प्रत्येक अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के छात्रों को किसी मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता के प्रदान किए जाने के लिए उसे अर्हक करने में समर्थ बनाए ; या

(ii) किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में, (जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा; या

(iii) किसी भी अमान्यताप्राप्त अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में, (जिसके अंतर्गत स्नातक पश्च पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) छात्रों के किसी नए बैच को प्रवेश नहीं देगा :

परंतु राज्य परिषद् की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी नए या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम की बाबत किसी व्यक्ति को या नए बैच को प्रदत्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता नहीं समझा जाएगा :

परंतु यह और कि जहां राज्य सरकार द्वारा किसी राज्य परिषद् का गठन नहीं किया जाता है वहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए पूर्व अनुज्ञा आयोग देगा।

(2) (क) प्रत्येक व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार राज्य परिषद् के समक्ष कोई स्कीम प्रस्तुत करेगा।

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट स्कीम ऐसे प्ररूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियां होंगी और उसे ऐसी रीति में किया जाएगा और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी स्कीम की प्राप्ति पर राज्य परिषद् संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियां अभिप्राप्त कर सकेगी, जो उसके द्वारा आवश्यक समझी जाएं और उसके पश्चात् वह,—

(क) यदि स्कीम त्रुटिपूर्ण है और उसमें कोई आवश्यक विशिष्टियां नहीं हैं, तो संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के

नई सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं, नए अध्ययन पाठ्यक्रमों, आदि की स्थापना के लिए अनुज्ञा।

लिए युक्तियुक्त अवसर दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था ऐसी त्रुटि को, यदि कोई हो, जो राज्य परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सुधारने के लिए स्वतंत्र होगी ;

(ख) उपधारा (5) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए स्कीम पर विचार कर सकेगी ।

(4) राज्य परिषद् स्कीम पर विचार करने के पश्चात् और जहां आवश्यक हो, वहां संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था से उपधारा (2) के अधीन ऐसी अन्य विशिष्टियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्, जो उसके द्वारा आवश्यक समझे जाएं, तथा उपधारा (5) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्कीम का ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे या तो अनुमोदन या अननुमोदन कर सकेगी और ऐसा अनुमोदन उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के रूप में माना जाएगा :

परंतु राज्य परिषद् द्वारा किसी ऐसी स्कीम का अननुमोदन संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा अन्यथा नहीं :

परंतु यह और कि इस धारा की कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को, जिसकी स्कीम का राज्य परिषद् द्वारा अनुमोदन नहीं किया गया है, नई स्कीम प्रस्तुत करने से नहीं रोकेगी और इस धारा के उपबंध ऐसी स्कीम को इस प्रकार लागू होंगे, मानो ऐसी स्कीम उपधारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई थी ।

(5) राज्य परिषद्, उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश पारित करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

(क) क्या नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना चाहने वाली प्रस्तावित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था या विद्यमान सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था, शिक्षा के ऐसे आधारभूत स्तर प्रस्थापित करने की स्थिति में होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) क्या किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था की स्थापना चाहने वाले व्यक्ति या नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करना या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहने वाली विद्यमान सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं ;

(ग) क्या कर्मचारी, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण, अस्पताल की बाबत सुविधाएं और सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के समुचित कार्यकरण या नए अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण को संचालित करने या प्रवेश क्षमता में वृद्धि को समायोजित करना सुनिश्चित करने के लिए स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट अन्य आवश्यक सुविधाएं दी गई हैं या दी जाएंगी ;

(घ) क्या ऐसे सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था या अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण या प्रवेश क्षमता बढ़ाने के परिणामस्वरूप उपस्थित होने वाले संभाव्य छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए स्कीम में यथाविनिर्दिष्ट यथोचित सुविधाएं प्रदान की गई हैं या की जाएंगी ;

(ङ) क्या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था या अध्ययन पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले संभाव्य छात्रों को मान्यताप्राप्त सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों द्वारा समुचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई इंतजाम किया गया है या कोई कार्यक्रम बनाया गया है ;

(च) सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था में जनशक्ति की अपेक्षा ; और

(छ) कोई अन्य कारक, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(6) जहां राज्य परिषद् उपधारा (4) के अधीन आदेश पारित करती है, वहां आदेश की एक प्रति, यथास्थिति, संबंधित व्यक्ति या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को संसूचित की जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "व्यक्ति" के अंतर्गत कोई भी विश्वविद्यालय, संस्था या कोई न्यास भी है, किन्तु इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार नहीं है ;

(ख) किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था में किसी भी अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के संबंध में, (जिसके अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण भी है) "प्रवेश क्षमता" से छात्रों की वह अधिकतम संख्या अभिप्रेत है, जो ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण में प्रवेश दिए जाने के लिए समय-समय पर राज्य परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए।

सहबद्ध और
स्वास्थ्य देख-रेख
संस्थाओं से
जानकारी की
अपेक्षा करने की
शक्ति।

41. (1) किसी भी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था इस अधिनियम के अधीन किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के रूप में अध्ययपेक्षित अर्हता अभिप्राप्त करने के लिए राज्य परिषद् को अध्ययन पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की अवधि, निर्धारण और परीक्षाओं की स्कीम और अन्य पात्रता शर्तों की बाबत ऐसी जानकारी देंगे, जिसकी राज्य परिषद् समय-समय पर अपेक्षा करे।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी भी मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में शिक्षा प्रदान करने वाला कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था, राज्य परिषद् को ऐसी जानकारी ऐसी रीति में देगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

राज्य परिषद् द्वारा
सहबद्ध और
स्वास्थ्य देख-रेख
अर्हताओं की
मान्यता।

42. (1) राज्य परिषद्, जहां मान्यताप्राप्त प्रवर्ग में शिक्षा दी गई है या उस सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं की मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी भी शैक्षणिक या अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किसी भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के मानक ऐसी रीति में सत्यापित करवाएगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया सत्यापन किसी प्रशिक्षण या परीक्षा के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगा परन्तु शिक्षा के मानकों की उपयुक्तता पर राज्य परिषद् को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए होगा, जिसके अंतर्गत, यथास्थिति, मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में शिक्षा देने के लिए कर्मचारिवृंद, उपस्कर, आवास, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं या प्रत्येक परीक्षा की पर्याप्तता, जिसमें वे उपस्थित होते हैं, भी हैं।

(3) राज्य परिषद् मानकों के सत्यापन के रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को और एक प्रति उस पर संस्था की टिप्पणी सहित आयोग को भेजेगी।

मान्यता का वापस
लिया जाना।

43. (1) राज्य परिषद् से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, यदि आयोग की यह राय है कि—

(क) यथास्थिति, किसी विश्वविद्यालय या किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा आयोजित किसी अध्ययन पाठ्यक्रम और उसमें ली गई परीक्षा या किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित दक्षता या क्रमशः उन पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप नहीं है ; या

(ख) क्रमशः उन पाठ्यक्रमों के लिए आयोग द्वारा यथा अवधारित संस्था में अवसंरचना के मानक और प्रमाप, संकाय और शिक्षा की क्वालिटी का, यथास्थिति, किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा अनुसरण नहीं किया

गया है और ऐसा विश्वविद्यालय या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानकों को बनाए रखने के लिए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने में असफल हो गए हैं,

तो वह उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई आरंभ कर सकेगा।

(2) आयोग, ऐसे अभ्यावेदनों पर विचार करने और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् से प्राप्त की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर आदेश द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था को प्रदान की गई मान्यता वापस ले सकेगा :

परंतु किसी आदेश को पारित करने से पूर्व आयोग सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था तथा उस राज्य सरकार को, जिसकी अधिकारिता के भीतर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था स्थित है, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि आयोग, किसी विश्वविद्यालय या सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था द्वारा प्रदत्त व्यवसायिक अर्हता की अनुदत्त मान्यता को वापस लेने के लिए कोई कार्रवाई करने से पूर्व संबंधित राज्य परिषद् के परामर्श से जुर्माना अधिरोपित करेगा।

(3) आयोग, ऐसी और जांच, यदि कोई हो, जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि—

(क) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता इस अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त अर्हता केवल तभी होगी, जब वह विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान की जाए ; या

(ख) कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता, यदि विनिर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के छात्रों को प्रदान की जाती है, तभी मान्यताप्राप्त अर्हता होगी, जब विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान की जाए ; या

(ग) किसी विनिर्दिष्ट सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के संबंध में कोई भी अर्हता मान्यताप्राप्त अर्हता तभी समझी जाएगी, जब विनिर्दिष्ट तारीख से पहले प्रदान की गई हो।

44. राज्य परिषद्, इस अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक मानक बनाए रखने में असफलता के लिए किसी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्था के विरुद्ध ऐसे उपाय कर सकेगी, जिसके अंतर्गत चेतावनी जारी करना, जुर्माना अधिरोपित करना, प्रवेश क्षमता में कमी करना या प्रवेश बंद करना और आयोग को मान्यता वापस लिए जाने की सिफारिश भी है।

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं द्वारा न्यूनतम आवश्यक मानक बनाए रखने में असफलता।

अध्याय 6

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

45. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् आयोग को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जो केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

46. (1) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि।

(क) आयोग द्वारा प्राप्त समस्त सरकारी अनुदान, फीस ;

(ख) आयोग द्वारा अनुदान, उपकृति, वसीयत और अंतरण के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां ; और

(ग) आयोग द्वारा किसी अन्य रीति से या किन्हीं ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं, प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उपगत उसके खर्चों के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए।

आयोग के लेखे और संपरीक्षा।

47. (1) आयोग समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो जारी किए जाएं और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएं, तुलनपत्र भी है।

(2) आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई भी व्यय आयोग द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा आयोग के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और आयोग के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित आयोग के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट।

48. आयोग, पूर्ववर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों की एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगा और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

विवरणी और सूचना।

49. आयोग, केन्द्रीय सरकार को ऐसी रिपोर्टें, विवरणी और अन्य सूचना देगा, जिसकी वह सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

50. राज्य सरकार, राज्य विधान-मंडल द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् राज्य परिषद् को ऐसी धन राशियों का अनुदान दे सकेगी, जो राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए ठीक समझे।

राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि।

51. (1) राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि नामक एक निधि गठित की जाएगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) राज्य सरकार से प्राप्त समस्त धनराशि ;

(ख) राज्य परिषद् द्वारा अनुदान, फीस, उपकृति, वसीयत और अंतरण के रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां ; और

(ग) राज्य परिषद् द्वारा किसी अन्य रीति से किन्हीं ऐसे अन्य स्रोतों से, जो राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त समस्त धनराशियां।

(2) आयोग और राज्य परिषद् की सभी प्राप्तियां आयोग के किसी आनलाइन संदाय पोर्टल के माध्यम से होंगी और उस पोर्टल के माध्यम से सभी प्राप्तियों का एक-चौथाई भाग राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख निधि को अंतरित कर दिया जाएगा और सभी प्राप्तियों

का तीन-चौथाई भाग सुसंगत राज्य सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख परिषद् निधि को अंतरित कर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि का उपयोग, राज्य परिषद् के कृत्यों के निर्वहन में उपगत उसके खर्चों के लिए तथा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

52. (1) राज्य परिषद् समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगी और लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगी, जिसके अंतर्गत ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो जारी किए जाएं और ऐसे प्ररूप में, जो राज्य सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से विनिर्दिष्ट किए जाएं, तुलनपत्र भी है।

राज्य परिषद् के लेखे और संपरीक्षा।

(2) राज्य परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा उपगत कोई व्यय राज्य परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक और उसके द्वारा राज्य परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में नियुक्त किसी व्यक्ति के, ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया होते हैं तथा उसे विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और राज्य परिषद् के किसी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथा प्रमाणित राज्य परिषद् के लेखाओं को उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, राज्य सरकार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा और राज्य सरकार उन्हें विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बना है और जहां एक सदन वाला विधान-मंडल है, उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

53. राज्य परिषद्, पूर्ववर्ष के दौरान अपने क्रियाकलापों का पूर्ण और सही हिसाब देते हुए एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष तैयार करेगी और ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी तारीख को या उससे पहले, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, राज्य सरकार को भेजेगी और वह सरकार उसे विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां विधान-मंडल दो सदनों से मिलकर बना है या जहां एक सदन वाला विधान-मंडल है, उस सदन के समक्ष रखवाएगी।

राज्य परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट।

54. यथास्थिति, आयोग या राज्य परिषद् के सभी आदेशों और विनिश्चयों तथा उसके द्वारा जारी लिखतों को सचिव या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।

आदेशों आदि का अधिप्रमाणन।

55. कोई भी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक ऐसे किसी कर्तव्य का निर्वहन या किसी कृत्य का पालन नहीं करेगा, जो इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत नहीं है या ऐसा कोई भी उपचार नहीं करेगा, जो उसकी वृत्ति के व्यवसाय के क्षेत्र में प्राधिकृत नहीं है।

सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक द्वारा व्यवसाय।

अध्याय 7

अपराध और शास्तियां

56. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर में तत्समय दर्ज नहीं है, मिथ्या रूप से यह व्यपदिष्ट करता है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है या उसके नाम या अभिधान के संबंध में ऐसे शब्द या अक्षर का प्रयोग करता है, जिसकी युक्तियुक्त संगणना यह सुझाती है कि उसका नाम इस प्रकार दर्ज है, पहली दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा तथा किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

केन्द्रीय रजिस्टर और राज्य रजिस्टर में दर्ज कराने हेतु मिथ्या दावा करने के लिए शास्ति।

अभिधानों का
दुरुपयोग।

57. यदि कोई व्यक्ति,—

(क) केन्द्रीय रजिस्टर या किसी राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति न होते हुए किसी सहवद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक की भांति का उपयोग करता है; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन कोई सहवद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हता नहीं रखते हुए ऐसी अर्हता को उपदर्शित या उपलक्षित करने वाली किसी डिग्री या किसी डिप्लोमा या किसी अनुज्ञप्ति या किसी संक्षेपाक्षर का प्रयोग करता है,

पहली दोषसिद्धि पर, ऐसे जुमाने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा तथा किसी पश्चात्पूर्वी दोषसिद्धि पर कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुमाने से, जो दो लाख रुपए से अधिक का नहीं होगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण
प्रमाणपत्र
अभ्यर्पित करने में
असफलता।

58. यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया है, अपना, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या नवीकरण प्रमाणपत्र या दोनों तुरंत अभ्यर्पित कर देगा, जिसमें विफल होने पर वह ऐसे जुमाने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुमाने से, जो ऐसे पहले दिन के पश्चात्, जिसके दौरान अपराध जारी रहता है, पांच हजार रुपए प्रतिदिन तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

इस अधिनियम के
उपबंधों के उल्लंघन
के लिए शास्ति।

59. जो कोई इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा या जुमाने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा।

अपराधों का
संज्ञान।

60. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, आयोग या राज्य परिषद् के आदेश से किए गए परिवाद पर ही लेगा, अन्यथा नहीं।

(2) किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

अधिकारिता का
वर्जन।

61. किसी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्टर या राज्य रजिस्टर से किसी नाम के हटाए जाने या नाम दर्ज करने से इंकार करने के संबंध में आयोग या राज्य परिषद् द्वारा किए गए किसी भी आदेश की बाबत कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक की गई
कार्रवाई के लिए
संरक्षण।

62. यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या आयोग के किसी सदस्य या राज्य परिषद् के किसी सदस्य या वृत्तिक परिषद् के किसी सदस्य या स्वशासी बोर्ड के किसी सदस्य के विरुद्ध, उनके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन में इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक कार्य करने या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी।

केन्द्रीय सरकार
द्वारा निदेश।

63. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग को समय-समय पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जो उक्त सरकार की राय में, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए सहायक हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किसी भी निदेश के अंतर्गत आयोग को किन्हीं विनियमों को बनाना या पहले से बनाए गए किन्हीं विनियमों को संशोधित या प्रतिसंहत करना भी है।

64. इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम के उपबंधों से भिन्न किसी विधि के आधार पर किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

65. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के अधीन पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (i) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (ii) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की चयन की रीति ;

(ग) धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (घ) के उपखंड (iii) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और चयन की रीति ;

(घ) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ङ) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आयोग के अंशकालिक सदस्यों के लिए यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते ;

(च) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन आयोग की बैठकों में कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के नियम ;

(छ) धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के सचिव और अन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(ज) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन वृत्तिक परिषद् के सदस्यों की अर्हता और अनुभव ;

(झ) धारा 16 के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर में व्यक्ति का नाम दर्ज करने के आवेदन का प्ररूप और रीति ;

(ञ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ट) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(ठ) धारा 17 की उपधारा (3) के अधीन अनुलिपि प्रमाणपत्र के लिए फीस और प्ररूप ;

(ड) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्टर में अतिरिक्त प्रविष्टि के लिए आवेदन का प्ररूप, रीति और फीस ;

(ढ) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ट) के अधीन अंतरिम आयोग के सदस्यों की अर्हताएं, अनुभव और नियुक्ति की रीति ;

(ण) धारा 40 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्कीम के लिए प्ररूप, रीति, विशिष्टियां और फीस ;

(त) धारा 46 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयोग द्वारा प्राप्त धनराशि की रीति ;

(थ) धारा 46 की उपधारा (2) के अधीन आयोग के कृत्यों के निर्वहन में उपगत खर्चों के लिए निधि के उपयोग की रीति ;

(द) धारा 48 के अधीन आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समयावधि ; और

(ध) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है।

66. (1) आयोग, जनता से परामर्श और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए साधारणतया विनियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन शिक्षा, पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, भौतिक और अनुदेशक सुविधाओं, कर्मचारियों के पैटर्न, कर्मचारियों की अर्हता, क्वालिटी शिक्षण, निर्धारण, परीक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान, निरंतर वृत्तिक शिक्षा, मान्यताप्राप्त विभिन्न प्रवर्गों की बाबत संदेय अधिकतम अध्यापन फीस, सीटों के आनुपातिक वितरण के आधारभूत मानक उपबंधित करना और मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में उत्तरोत्तर नवीनताओं को प्रोत्त करना ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं के लिए अन्य विशिष्टियां ;

(ग) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन प्रवेश के लिए सामान्य परामर्श से एकरूप परीक्षा उपबंध करने की रीति ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अधीन सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिकों और राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एकरूप निकास या अनुज्ञप्ति परीक्षा का उपबंध करने की रीति ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ट) के अधीन उपाय करने की रीति ;

(च) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अंतर्विष्ट करने की रीति, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय रजिस्टर में क्रमिक मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में किसी से संबंधित व्यक्ति के नाम और अर्हता भी है ;

(छ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर को जनसंख्यांकिक और अनुरक्षित करने के लिए मानकीकृत रूपविधान अंगीकृत करने की रीति ;

(ज) धारा 19 के अधीन केन्द्रीय रजिस्टर से व्यक्ति का नाम हटाने की रीति ;

(झ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक मान्यताप्राप्त प्रवर्ग से सदस्यों की संख्या ;

(ञ) धारा 29 की उपधारा (6) के अधीन पूर्वस्नातक सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा, स्नातकोत्तर सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख शिक्षा, सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति निर्धारण और श्रेणीकरण तथा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति नैतिकता और रजिस्ट्रीकरण के अन्य कृत्य ;

(ट) धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अंतर्विष्ट करने की रीति, जिसके अंतर्गत इन क्रमिक मान्यताप्राप्त प्रवर्गों में से किसी से संबंधित व्यक्ति का नाम और अर्हता भी है ;

विनियम बनाने की शक्ति।

(ठ) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन राज्य रजिस्टर में सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तियों की वृत्ति से संबंधित उनकी शैक्षणिक अर्हता, संस्थाओं, प्रशिक्षण, कौशल और सक्षमताओं के व्यौरे अंतर्विष्ट करने की रीति ;

(ड) धारा 33 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्ररूप और रीति ;

(ढ) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण की अवधि ;

(ण) धारा 38 के अधीन ऐसे व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण की अवधि और रीति, जो इस अधिनियम के प्रारंभ पर या उससे पहले मान्यता प्राप्त किसी प्रवर्ग में सेवाएं देते हैं ;

(त) धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन भारत के बाहर प्रदान की गई तत्स्थानी सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख अर्हताओं की मान्यता ;

(थ) धारा 39 की उपधारा (2) के अधीन भारत के बाहर की संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई अर्हताओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए हकदार होने की रीति ;

(द) धारा 40 की उपधारा (5) के खंड (क) के अधीन कोई नया या उच्चतर अध्ययन पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरंभ करने की मांग करने के लिए शिक्षा के आधारभूत स्तर ;

(ध) धारा 40 की उपधारा (5) के खंड (ख) के अधीन कोई अन्य कारक ;

(न) धारा 41 की उपधारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या संस्था द्वारा सूचना देने की रीति ;

(प) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन राज्य परिषद् द्वारा सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख संस्थाओं में शिक्षा मानकों के सत्यापन की रीति ;

(फ) कोई अन्य विषय, जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा उपबंध किया जा सके ।

67. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा, यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम निष्प्रभाव हो जाएगा; तथापि नियम या विनियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

68. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और उपधारा (1) के अधीन पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (ड) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ख) धारा 22 की उपधारा (3) के खंड (च) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव ;

(ग) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन राज्य परिषद् के सदस्यों को यात्रा भत्ता और अन्य भत्ते ;

नियमों और
विनियमों का रखा
जाना ।

राज्य सरकार की
नियम बनाने की
शक्ति ।

(घ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बैठकों का समय, स्थान और कारबार के संव्यवहार की बाबत प्रक्रिया के नियम की रीति, जिसके अंतर्गत राज्य परिषद् की गणपूर्ति भी है ;

(ङ) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन राज्य परिषद् के सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें ;

(च) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन राज्य रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस ;

(छ) धारा 33 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप ;

(ज) धारा 34 के अधीन अनुलिपि प्रमाणपत्र के लिए फीस और प्ररूप ;

(झ) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन फीस और ऐसी फीस के संदाय की रीति;

(ञ) धारा 35 की उपधारा (2) के परंतुक के अधीन राज्य रजिस्टर में नाम की पुनः बहाली के लिए फीस ;

(ट) धारा 37 के अधीन राज्य रजिस्टर में नाम की पुनः बहाली के लिए फीस ;

(ठ) धारा 51 की उपधारा (3) के अधीन राज्य परिषद् के कृत्यों के निर्वहन में उपगत व्ययों के लिए निधि के आवेदन की रीति ;

(ड) धारा 53 के अधीन वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय ; और

(ढ) कोई अन्य विषय, जिसे नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या किया जाए या जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जहां विधान-मंडल दो सदनों वाला है और जहां एक सदन वाला विधान-मंडल है, उस सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

69. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

70. (1) केन्द्रीय सरकार, आयोग से परामर्श करने के पश्चात् अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुसूची को बढ़ा सकेगी या अन्यथा संशोधित कर सकेगी और तदुपरान्त उक्त अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए प्रारूप में रखी जाएगी और यदि दोनों सदन, अधिसूचना के जारी किए जाने का अननुमोदन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या ऐसे उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर दोनों सदन सहमत हो जाएं ।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति ।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति ।

अनुसूची
[धारा 2(द) देखिए]

क्र.सं.	मान्यताप्राप्त प्रवर्ग	सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्तिक	आईएससीओ कोड
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चिकित्सा प्रयोगशाला और जीव विज्ञान		
	जीव विज्ञान वृत्तिक	(i) जैव प्रौद्योगिकीविद्,	2131
	टिप्पण : जीव विज्ञान वृत्तिक एक ऐसा व्यक्ति है जो नए ज्ञान को विकसित करने और मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरण सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए मानव पर शोध तथा अन्य जीव रूपों पर एक-दूसरे के साथ अपनी अन्योन्य क्रियाओं और पर्यावरण के अनुप्रयोग की जानकारी रखता हो और जो विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-जीवाणु विज्ञान, जैव रसायन, जननिक, प्रतिरक्षा विज्ञान, औषध विज्ञान, विष विज्ञान और विषाणु विज्ञान में कार्य करता है और जो अन्य क्षेत्रों में नई प्रक्रियाओं तथा तकनीकों की पहचान और उन्हें विकसित करने के लिए प्रयोगात्मक तथा क्षेत्रीय आंकड़े संग्रहीत करता है, उनका विश्लेषण करता है तथा मूल्यांकन करता है।	(ii) जैव रासायनज्ञ (गैर-नैदानिक) (iii) कोशिका आनुवंशिकीविद् (iv) सूक्ष्मजीवविज्ञानी (गैर-नैदानिक) (v) आणविक जीवविज्ञानी (गैर-नैदानिक) (vi) आणविक आनुवंशिकीविद्	
	चिकित्सा प्रयोगशाला विज्ञान वृत्तिक	(i) कोशिका प्रौद्योगिकीविद्	3212
	टिप्पण : चिकित्सा और रोग विज्ञान प्रयोगशाला वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी के स्वास्थ्य या मृत्यु के कारण के बारे में और चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी या सम्बन्धित क्षेत्र में औपचारिक प्रशिक्षण रखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कायिक तरल पदार्थ और उत्तकों के नमूनों पर नैदानिक परीक्षण करता है जिनमें रक्त, मूत्र और मेरूदंडीय तरल पदार्थ सहित जैविक सामग्री के विश्लेषण के लिए स्पैक्ट्रोफोटोमीटर, कैलोरीमीटर और फ्लेमफोटोमीटरों जैसे परीक्षण और प्रचालन उपस्कर भी हैं।	(ii) न्यायालयिक विज्ञान प्रौद्योगिकीविद् (iii) उत्तक प्रौद्योगिकीविद् (iv) रूधिर प्रौद्योगिकीविद् (v) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्	
2.	मानसिक आघात, बर्न केयर और शल्य/असंवेदनता सम्बद्ध प्रौद्योगिकी		
	मानसिक आघात और बर्न केयर वृत्तिक	(i) प्रगत देख-रेख पराचिकित्सकीय	2240
	टिप्पण : मानसिक आघात और ज्वलन देख-रेख वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो चिकित्सकों द्वारा की गई चिकित्सीय सेवाएं, जिनके अन्तर्गत आपातकालीन सेवा भी है, की तुलना में कार्यक्षेत्र और जटिलता में अधिक सीमित सलाहकारी, नैदानिक, उपचारात्मक और निवारक चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करता है और बर्न केयर प्रौद्योगिकीविद् ऐसा व्यक्ति है जो स्वायत्त रूप से, या चिकित्सकों के सीमित पर्यवेक्षण के साथ	(ii) ज्वलन देख-रेख प्रौद्योगिकीविद् (iii) आपातकालीन चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् (पराचिकित्सकीय)	2240 3258

(1)	(2)	(3)	(4)
	कार्य करता है और उपहृतियों तथा अन्य शारीरिक विकृतियों का उपचार करने और उनका निवारण करने के लिए उन्नत नैदानिक प्रक्रिया का अनुप्रयोग करता है।		
	शल्य और असंवेदनता सम्बद्ध प्रौद्योगिकी वृत्तिक	(i) असंवेदनता सहायक और प्रौद्योगिकीविद्	3259
	टिप्पण : शल्य और असंवेदनता सम्बद्ध प्रौद्योगिकी वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो शल्यक्रिया कक्षों में बहु-अनुशासनिक टीम का सदस्य है जो शल्यक्रिया करने वाले कक्ष की तैयारी करता है और उसका रखरखाव करता है, निश्चेतक तथा शल्य दल की शल्यक्रिया संबंधी अवधि के दौरान निश्चेतक और शल्य दल की सहायता करता है तथा स्वास्थ्य लाभ कक्ष में रोगियों को सहायता प्रदान करता है तथा उसकी मुख्य भूमिका में व्यवस्था, जांच भी है और वह असंवेदनता उपस्कर, शल्य क्रिया कक्ष की तैयारी तथा मेज, केन्द्रीय जीवाणुहीन सेवा विभाग के कृत्यों के प्रबंधन, आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा तैयारी में सहायता करता है तथा किसी अन्य सम्बद्ध नैदानिक क्षेत्र में शल्यकार और निश्चेतकों की सहायता को बनाए रखता है।	(ii) शल्यक्रिया कक्ष (ओटी) प्रौद्योगिकीविद्	3259
		(iii) अंतःदर्शन और लैप्रोस्कोपी प्रौद्योगिकीविद्	3259
3.	भौतिक चिकित्सा वृत्तिक	(i) भौतिक चिकित्साविद्	2264
	टिप्पण : भौतिक चिकित्सा वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो संचलन या क्रियात्मक दुष्क्रिया, अपक्रिया, विकार, दिव्यांगता, मानसिक आघात और बीमारी से आरोग्यकर होने और पीड़ा के लिए या उनके प्रयोजन के लिए या उनके सम्बन्ध में शारीरिक रूपात्मकताओं, जिनके अन्तर्गत निवारण, सिक्रीनिंग, रोग निदान, उपचार, स्वास्थ्य संवर्धन और स्वस्थता के लिए व्यायाम, गतिशीलता, हस्तोपचार, विद्युत और थर्मल कर्मक तथा अन्य विद्युत चिकित्सा विज्ञान भी हैं, का प्रयोग करके किन्हीं प्रारम्भिक व्यक्तियों की व्यापक जांच और उचित अन्वेषण करके भौतिक चिकित्सा का व्यवसाय करता है, उपचार प्रदान करता है और सलाह देता है। भौतिक चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-अनुशासनिक टीम के भाग के रूप में व्यवसाय कर सकता है और उसके पास स्नातक उपाधि की न्यूनतम अर्हता है।		
4.	पोषाहार विज्ञान वृत्तिक	(i) पोषण आहार विज्ञानी (जिनमें नैदानिक पोषणविद्, आहार सेवा पोषणविद् भी हैं)	2265
	टिप्पण : पोषाहार विज्ञान वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो स्वास्थ्य पर, आहार और पोषण के संघात का वर्धन करने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के संवर्धन के लिए, व्यक्तियों, समूहों, समुदायों और जनसंख्या और साथ	(ii) पोषणविद् (जिनमें लोक स्वास्थ्य पोषणविद्, खेल पोषणविद् भी हैं)	2265

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>ही आहार तथा पोषाहार विज्ञान में प्रशिक्षण सहित मानव स्वास्थ्य पर पोषण और आहार विज्ञानियों के स्वास्थ्य को अनुकूलतम बनाने हेतु बीमारी को रोकने और उसका उपचार करने के लिए कार्यक्रम का मूल्यांकन करने, उसकी योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करता है।</p>		
5.	<p>नेत्र विज्ञान वृत्तिक</p> <p>टिप्पण: नेत्र विज्ञान वृत्तिक एक ऐसा व्यक्ति है जो नेत्र सम्बन्धी रोगों का अध्ययन करता हो और नेत्र तथा दृश्य तंत्र के विकारों के प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त हो, जिसे ऐसे किसी चिकित्सक द्वारा यथा निष्पादित किया गया हो जो परिधि तथा जटिलता में सीमित है और जिसके पास ऐसे दृष्टि विज्ञानी हैं जो न्यूनतम चार वर्षीय स्नातक उपाधि रखते हों और ऐसे नेत्र विज्ञानी सहायक या दृष्टि तकनीशियन हों, जिनके पास न्यूनतम दो वर्षीय मान्यताप्राप्त डिप्लोमा कार्यक्रम है।</p>	<p>(i) दृष्टि विज्ञानी</p> <p>(ii) नेत्र विज्ञान सहायक</p> <p>(iii) दृष्टि तकनीशियन</p>	<p>2267</p> <p>3256</p> <p>3256</p>
6.	<p>व्यवसाय चिकित्सा वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : व्यावसायिक चिकित्सा वृत्तिक एक ऐसा व्यक्ति है, जो दिन-प्रतिदिन जीवन के क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए लोगों को समर्थ बनाने हेतु व्यवसाय के माध्यम से स्वास्थ्य तथा कल्याण के संवर्धन से सम्बन्धित ग्राहक केन्द्रित सेवाएं परिदत्त करता है, जिनमें वृत्तिक जैसे व्यावसायिक चिकित्सक भी हैं जो उन व्यवसायों, जिन्हें उनसे करवाने की अपेक्षा की जाती है, में विनियोजित करने की उनकी योग्यता को बढ़ाने के लिए लोगों और समाज के साथ कार्य करके या उनके व्यावसायिक विनियोजन में बेहतर ढंग से सहायता करने के लिए व्यवसाय या पर्यावरण को उपांतरित करके इस परिणाम को प्राप्त करता है। व्यवसाय चिकित्सक स्वतंत्र रूप से या बहु-अनुशासनिक टीम के भाग के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है और वह बैकालारिएट डिग्री की न्यूनतम अर्हता रखता हो।</p>	<p>(i) व्यवसाय चिकित्सक</p>	<p>2269</p>
7.	<p>सामुदायिक देख-रेख, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य विज्ञान और अन्य वृत्तिक</p> <p>प्राथमिक सामुदायिक और अन्य प्रकीर्ण देख-रेख वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : प्राथमिक और सामुदायिक देख-रेख वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो क्षेत्रीय स्तर पर विनिर्दिष्ट समुदायों को स्वास्थ्य शिक्षा, अभिनिर्देश, अनुवर्तन, मामला प्रबंधन और मूलभूत रोकथाम और स्वास्थ्य देख-रेख तथा गृह परिदर्शन सेवाएं प्रदान करता है और स्वास्थ्य</p>	<p>(i) पर्यावरण संरक्षण अधिकारी</p> <p>(ii) पारिस्थितिकी विज्ञानी</p> <p>(iii) सामुदायिक स्वास्थ्य संप्रवर्तक</p> <p>(iv) व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी (निरीक्षक)</p>	<p>2133</p> <p>2133</p> <p>3253</p> <p>3257</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>और सामाजिक सेवा प्रणाली के मार्ग निर्देशन में व्यक्तियों और कुटुम्बों को सहयोग और सहायता प्रदान करता है तथा अभिनिर्देश नेटवर्क की स्थापना करता है।</p> <p>व्यवहार स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : व्यवहार स्वास्थ्य विज्ञान वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्यता, दैनिक जीवन में कार्य करने की अपनी समर्थता और अपने स्वयं की धारणा से सम्बन्धित मनोविकार, व्यवहार और जीवविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। "व्यवहार स्वास्थ्य", "मानसिक स्वास्थ्य" का अधिमानित पद है और इसके अन्तर्गत परामर्शदाता, विश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, शिक्षक और सहायक कर्मकार जैसे वृत्तिक भी हैं जो सामाजिक और वैयक्तिक कठिनाइयों के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों, परिवारों, समूहों और समुदायों को परामर्श, चिकित्सा और मध्यकता संबंधी सेवाएं प्रदान करता है।</p> <p>अन्य देख-रेख वृत्तिक</p>	<p>(i) मनोवैज्ञानिक (दिव्यांग के लिए आरसीआई के अन्तर्गत आने वाले नैदानिक मनोवैज्ञानिक के सिवाय)</p> <p>(ii) व्यवहार विश्लेषक</p> <p>(iii) एकीकृत व्यवहार स्वास्थ्य परामर्शदाता</p> <p>(iv) स्वास्थ्य शिक्षक और परामर्शदाता, जिसमें रोग परामर्शदाता, डायबिटीज शिक्षक, दुग्ध स्त्रवण परामर्शदाता भी हैं</p> <p>(v) सामाजिक कार्यकर्ता, जिसमें नैदानिक सामाजिक कार्यकर्ता, मनोरोग सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं</p> <p>(vi) ह्यूमेन इम्पूनो डेफिसियेंसी वायरस (एचआईवी) परामर्शदाता या परिवार नियोजन परामर्शदाता</p> <p>(vii) मानसिक स्वास्थ्य सहायता कर्मकार</p> <p>(i) पाद-रोग विज्ञान</p> <p>(ii) उपशामक देख-रेख वृत्तिक</p> <p>(iii) संचलन चिकित्सक (जिनमें कला, नृत्य और संचलन चिकित्सक या आमोद-प्रमोद चिकित्सक भी हैं)</p>	<p>2634</p> <p>2635</p> <p>2635</p> <p>2635</p> <p>2635</p> <p>3259</p> <p>3259</p> <p>2269</p> <p>3259</p> <p>2269</p>
8.	<p>चिकित्सा विकिरण विज्ञान, इमेजिंग और चिकित्सीय प्रौद्योगिकीविद् वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : चिकित्सा इमेजिंग और चिकित्सीय उपस्कर प्रौद्योगिकी वृत्तिकों में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो उपहति, बीमारी और अन्य विकृतियों के निदान और उपचार के लिए शरीर संरचनाओं की इमेजों को उत्पन्न करने के लिए रेडियोग्राफ सम्बन्धी अल्ट्रासाउंड और अन्य चिकित्सीय इमेजिंग उपस्कर का परीक्षण करते हैं और उसे प्रचालित करते हैं या अन्य विकिरण उपचारों को प्रशासित करते हैं और रेडियोलोजिस्ट या अन्य चिकित्सा व्यवसायी के पर्यवेक्षणाधीन चिकित्सा प्रौद्योगिकी, विकिरण विज्ञान, सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, नाभिकीय चिकित्सा प्रौद्योगिकी, एमआरआई, मात्रामितिय या विकिरण चिकित्सा में प्रशिक्षण सहित रोगियों की अवस्थाओं की निगरानी करते हैं।</p>	<p>(i) चिकित्सा भौतिक विज्ञानी</p> <p>(ii) नाभिकीय ओषधि प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(iii) विकिरण विज्ञान और इमेजिंग प्रौद्योगिकीविद् (नैदानिक चिकित्सा विकिरण चित्रकार, मैग्नेटिक रेशोनेंस इमेजिंग (एमआरआई), कंप्यूटिड टोमोग्राफी (सीटी), मेमोग्राफर नैदानिक चिकित्सा सोनोग्राफर)</p> <p>(iv) विकिरण चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(v) मात्रामितिय</p>	<p>2111</p> <p>3211</p> <p>3211</p> <p>3211</p> <p>3211</p>
9.	<p>चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् और चिकित्सा सहयोगी</p> <p>जैव चिकित्सा और चिकित्सा उपस्कर प्रौद्योगिकी वृत्तिक</p> <p>चिकित्सक सहयोगी या चिकित्सक सहायक</p> <p>टिप्पण : चिकित्सक सहयोगी या चिकित्सक सहायक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी की देखभाल में सहायता करने के लिए मूलभूत नैदानिक और प्रशासनिक कार्य निष्पादन करता है और वह चिकित्सा मॉडल में इस</p>	<p>(i) जैव चिकित्सा इंजीनियर</p> <p>(ii) चिकित्सा उपस्कर प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(i) चिकित्सा सहयोगी</p>	<p>2149</p> <p>3211</p> <p>3256</p>

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>प्रकार प्रशिक्षक होता है कि वह चिकित्सक के पर्यवेक्षण से निवारक, नैदानिक और चिकित्सीय सेवाएं निष्पादित करने के लिए अर्हता प्राप्त और सक्षम है।</p> <p>हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान और फुफ्फुसीय, प्रौद्योगिकी वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : हृदयवाहिका, तंत्रिका विज्ञान और फुफ्फुसीय, प्रौद्योगिकी वृत्तिकों में वे व्यक्ति सम्मिलित हैं जिन्होंने श्वसन, तंत्रिका और परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया है और वे उनका संपूर्ण ज्ञान रखते हैं और जिनके पास उसमें सम्बन्धित मिश्रित उपस्करों को प्रचालित करने का सामर्थ्य है और उनमें द्रवनिवेशक, हृदवाहिका प्रौद्योगिकीविद् श्वसन प्रौद्योगिकीविद् और निद्रा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् जैसे वृत्तिक भी हैं।</p> <p>वृक्क प्रौद्योगिकी वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : वृक्क प्रौद्योगिकी वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है जो रोगी के प्रति प्रभावी डायलिसिस चिकित्सा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए डायलिसिस चिकित्सा प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित है और इसमें ऐसे डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् भी हैं जिनके पास स्नातक की उपाधि है और जो कृत्रिम वृक्क मशीन को अनुमोदित पद्धतियों का अनुसरण करके प्रचालित करते हैं और उसे अनुरक्षित रखते हैं।</p>	<p>(i) हृदयवाहिका प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(ii) द्रव निवेशक</p> <p>(iii) श्वसन प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(iv) इलैक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) प्रौद्योगिकीविद् या इकोकार्डियोग्राम (ईसीएचओ) प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(v) इलैक्ट्रोएनसीफेलोग्राम (ईईजी)या इलैक्ट्रोन्यूरोडायग्रोस्टिक (ईएनडी) या इलैक्ट्रोमायोग्राफी (ईएमजी) प्रौद्योगिकीविद् या तंत्रिका प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद् या निद्रा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(i) डायलिसिस चिकित्सा प्रौद्योगिकीविद् या मूत्र विज्ञान प्रौद्योगिकीविद्</p>	<p>3259</p> <p>3259</p> <p>3259</p> <p>3259</p> <p>3259</p> <p>3259</p>
10.	<p>स्वास्थ्य सूचना प्रबंध और स्वास्थ्य सूचना वृत्तिक</p> <p>टिप्पण : स्वास्थ्य और सूचना प्रबंध वृत्तिक ऐसा व्यक्ति है, जो स्वास्थ्य सेवा परिदान की विधिक, वृत्तिक, नैतिक और प्रशासनिक अभिलेख पालन सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए चिकित्सा सुविधाओं और अन्य देख-रेख स्थापनों में स्वास्थ्य अभिलेख प्रक्रिया, भंडारण और पुनःप्राप्य प्रणालियों को विकसित करता है, कार्यान्वित करता है और उनका मूल्यांकन करता है तथा स्वास्थ्य देख-रेख औद्योगिक संख्यात्मक कूटलेखन प्रणाली से संगत रीति में स्वास्थ्य अपेक्षाओं और मानकों के लिए रोगी की जानकारी पर प्रक्रिया करता है, उसे बनाए रखता है, उसका संकलन करता है और उसकी रिपोर्ट करता है।</p>	<p>(i) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध वृत्तिक (जिसमें चिकित्सा विश्लेषक भी हैं)</p> <p>(ii) स्वास्थ्य सूचना प्रबंध प्रौद्योगिकीविद्</p> <p>(iii) नैदानिक कोडर कूटलेखक</p> <p>(iv) चिकित्सा सचिव और चिकित्सा प्रतिलेखक</p>	<p>3252</p> <p>3252</p> <p>3252</p> <p>3344</p>